न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.01 / रेफरेंस / 2020	13.07.2020	31.12.2024
(GCMS No. 2020 / 00060)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1. धर्मराज पुत्र स्व.बजरंगलाल जाति मीना निवासी छपावदा
2 प्रकाशबाई पत्नी स्व.बजरंगलाल जाति मीना निवासी छपावदा
3. सुरेन्द्र कमार पुत्र स्व.बजरंगलाल जाति मीना निवासी छपावदा
   तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज0)

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार तालेडा ने अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम छपावदा के खसरा संख्या 460 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा (हाल रकबा 0.4775 हैक्टेयर) में से 19 बिस्वा (0.1537 हैक्टेयर) भूमि को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म **'नाला'** राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थीगण के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से बाद निर्णय दिनांक 10.01.2020 से प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व रिकार्ड संवत 2008–47 का है, जबकि दिनांक 15.08.1947 अर्थात् संवत 2004 का रिकार्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, ऐसे में मूल प्रकरण निर्देशानुसार वास्ते पूर्ति इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 1/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2020/00060 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। ग्राम छपावदा की तहसील बून्दी के स्थान पर वर्तमान में अब तहसील तालेडा हो जाने से तहसीलदार तालेडा से अपेक्षित पूर्तियां करवायी जाकर नकल जमाबंदी संवत **2001 से 2004** सहित प्रकरण तैयार करवाया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार प्रार्थी मृतक बजरंगलाल के वरिसान वर्तमान खातेदारान अप्रार्थीगण धर्मराज, सुरेन्द्रकुमार पि. स्व.बजरंगलाल एवं प्रकाशबाई पत्नी स्व. बजंरगलाल जाति मीणा निवासीगण छपावदा को वास्ते सुनवाई जर्ये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर सुनवाई की गई।

तत्पश्चात् बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा सं. 283) की किस्म 1947 से पूर्व 'नाला' दर्ज रेकार्ड थी, जो पानी के बहाव के काम में आती थी तथा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी के खाते में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को पूर्वानुसार नाला राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करवाये जाने की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2001 से 2004, मिलान क्षैत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम छपावदा की विवादित भूमि ख.सं.460 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा किस्म तीर खातली में सम्मिलित 19 बिस्वा के पुराने खसरा संख्या **283** थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **नाला** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार

जिला कलक्टर; बून्दी

नियम विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र संख्या 9213–9244 दिनांक 13.11.2007 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम छपावदा, वर्तमान तहसील तालेडा में विस्थित भूमि वर्तमान खसरा संख्या 460 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा (हाल रकबा 0.4775 हैक्टेयर) में से 19 बिस्वा (0.1537 हैक्टेयर) पर अप्रार्थीगण को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु.नाला दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जाता है। अतः पत्रावली फैसले में शुमार होकर अभिशंषित मूल रेफरेंस प्रकरण निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावें।

आदेश आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी